प्रेस नोट- थाना परौर

जनपद शाहजहाँपुर

प्रेस नोट सराहनीय कार्य 09.01.2025

थाना परौर पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 003/2025 धारा 103(1) B.N.S व धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्दशन में व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिह थाना परौर के नेतृत्व में थाना परौर पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 07/01/2025 को वादी श्री हरवीर सिह पुत्र श्रीपाल सिह निवासी ग्राम गढी थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा मु0अ0सं0 03/2025 धारा 103(1) B.N.S. बनाम अभियुक्त भूपेन्द्र द्वारा खुद की नाबालिग पुत्री की तलवार से वार कर निर्मम हत्या करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था। अभियोग उपरोक्त के वांछित अभियुक्त भूपेन्द्र सिह पुत्र श्रीपाल सिह निवासी ग्राम गढी थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर को आज दिनांक 09.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिह थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर के नेतृत्व में थाना परौर पुलिस टीम द्वारा समय करीब 08.52 बजे कुबेरपुर से कलान की तरफ जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया तथा पंजाब जाने की फिराक में था। अभियुक्त दिल्ली में रहकर काम करता है तथा अभियुक्त भूपेन्द्र सिह उपरोक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तलवार बरामद की गयी तथा बरामदगी के आधार धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पैश किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम–

- भूपेन्द्र सिह पुत्र श्रीपाल सिह निवासी ग्राम गढी थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 03/2025 धारा 103(1) B.N.S. धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट , बनाम भूपेन्द्र।

गिरफ्तारी का स्थान-दिनांक व समय

कुबेरपुर से कलान की तरफ जाने वाली सड़क, थाना परौर, दिनांक 09.01.25 समय करीब सुबह 08.52 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- प्र0नि0 श्री अशोक कुमार सिह
- प्रशि0 उ0नि0 श्री जीतू सिह
- प्रशि0 उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिह
- प्रशि0म0उ0नि0 प्रभा चौधरी
- हे0का0 170 अजय कुमार
- का0 1974 पंकज कुमार